ISecretary] (22) Shri Fakhruddin Ali Ahmed,

and 11 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the second week of the next session;

that in other xespects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 11 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee." "

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

THE BIHAR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL, 1968—Contd.

श्री रुद्र नारायण झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह बिल औपचारिक है, क्योंकि जो बिहार राष्ट्रपति का शासन लागू है इसलिये इस बिल के द्वारा अधिकार हमको देना ही है, लेकिन इसमें उन्होंने एक जगह पैरा 2 में कहा है कि :

"Provided that before enacting any i such Act, the President shall, whenever he considers it practicable to do, so, consult a Committee constituted for the purpose consisting of forty members of the House of the People nominated by the Speaker and twenty members of the Council of States nominated by the Chairman."

शुरू में ही यह जो "इफ प्रैक्टिकेबल" लगा दिया गया है इसके बारे में मैं समझता हूं कि जब कानून बनाने की ब्रात होगी तो गवर्नर साहब को राष्ट्रपति महोदय का आदेश कोई इस प्रकार तो नहीं मिलेगा कि रात में सपना देखा और सबेरे कानून बना दिया। किसी कन्सल्टेटिव कमेटी की मीटिंग बुलाने में, उसकी सूचना देने में और जिस जगह मीटिंग होगी उस को निश्चित करना, इन सब बातों में यह "इफ प्रक्टिकेबल" लगा कर एक तरह से कार्य को असम्भव बना दिया है क्योंकि जो तर्जुबा है हमें हरियाणा का और बंगाल का, बंगाल में दो या तीन बार से अधिक मीटिंग नहीं हुई, उसके आधार पर और आज जो बिहार की परिस्थिति है उसमें मैं समझता हूं राष्ट्रपति के शासन के बाद, जो पहले संविद्र सरकार ने बिहार अकाल के ब्राद थोड़ा सा वहां कृषि के विकास के लिये कुछ काम शुरू किया था और उसमें जो वहां कृषि के लिये केन्द्रीय सहायता मिल रही थी, उसको काटा गया। फिर जो 25 प्ररसेन्ट दिया जा रहा था वह अभी राष्ट्रपति शासन के बाद घोषणा हुई है कि जो पंपिग सेट के लिये, ट्यूबवेल के लिये, सरकारी सहायता के रूप में अनुदान मिलता था वह बंद कर दिया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बिहार में दो बड़े मसले हैं। एक तो बिहार में भी और राज्यों की तरह बाढ़ आई है और बिहार के कई हिस्से जलप्लावित हुए हैं, हजारों लाखों की क्षति हुई है। चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, आसाम हो या दूसरे सूबे हों वहां की जन-सरकारें और वहां के लोग भी सहायता का काम तेजी से कर रहे हैं। प्रेस में भी आये दिन आप देखते है वहां की सरकारें मुस्तैदी से काम कर रही हैं। लेकिन बिहार की स्थिति यह है कि आज वहां पर जनता बाढ़ से परेशान है और अपनी खेती से परेशान है। लेकिन बिहार के सेक्रेटेरिएट में सिर्फ इस बात की चर्चा चलती रहती है कि किस आफिसर का गुट वहां रहेगा और किस का गुट चला जायेगा। कभी एक लिस्ट बनती है और बाद में कैंसिल हो जाती है। इस तरह की चीज

वहां पर चल रही है और जनता तकलीफ से परेशान है और उसे जो राहत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल रही है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में एन०जी०ओ०ने स्ट्राइक की थी। जब 25 तारीख को पिछले महीने गृह मंत्री श्री चव्हाण साहब ने यह आश्वासन दिया और यह घोषणा की कि एन०जी०ओ० के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, उन्हें अपनी हड़ताल खत्म कर देना चाहिये और उसके बाद गवर्नर महोदय उनकी बातों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । इसके संबंध में यही कहना चाहता हूं कि उस दिन उन्होंने जो यह घोषणा की उसी के मुताबिक वहां के हड़ताली लोगों ने स्ट्राइक काल आफ कर दी । चूंकि घोषणा में कहा गया था किसी का विक्टिमाइजेशन नहीं किया जायेगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां पर करीब एक हजार आदमियों को गिरफ्तार किया गया है । एक हजार आदमियों के ऊपर मुकदमा चल रहा है और दो हजार आदमियों को मुअत्तल किया गया है । इसी तरह से करीब दो हजार आदमियों को बरखास्त कर दिया गया है । वहां पर 15 दिन तक जिन लोगों ने हड़ताल की थी उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया और उनका वेतन काट लिया गया है ।

हड़ताल खत्म होने के बाद जो पहला सर्कुलर जारी किया गया था उसमें यह कहा गया कि जो रिंग लीडर हैं उनको काम में न लिया जाय और शेष लोगों को काम में ले लिया जाय । सरकारी हुक्म तो हर जगह चला जाता है मगर जो आफिसर होते हैं वे मनमानी ढंग से उसका मतलब निकालते है और इस तरह से उन्होंने बहुत से कर्मचारियों को आफिस ज्वाइन नहीं करने दिया । एनिमल हजबेंडरी और दूसरे डिपार्टमेंट के आफिसरों ने कहा कि उन लोगों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है फिर भी उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया । उनके कागजात जब पोलिटिकल सेक्रेटरी के पास गये तो उन्होंने भी कहा कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न वे रिंग लीडर हैं और नही उन्होंने अटैक किसी तरह का किया है । इन लोगों को ज्वाइन करने दिया जाय । इस आदेश के बाद भी इन लोगों को ज्वाइन नहीं करने दिया गया । गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि किसी तरह से विक्टिमाइजेशन नहीं किया जायेगा, उसको आज धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है ।

अब जो दूसरा सर्कुलर निकला है उसमें कहा गया है कि जो लोग 31 अगस्त तक 15 दिन की छुट्टी के लिए एक्स्ट्रा आर्डिनरी दरखवास्त नहीं देंगे, उनकी सर्विस ब्रेक समझी जायगी । दूसरी तरफ जो नये टैम्परेरी लोग हैं, उनके बारे में कहा गया है कि उन लोगों को भी 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी । अगर वे छुट्टी नहीं लेते हैं तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जायेगी । अगर वे छुट्टी लेते हैं तब भी उनको नई सर्विस में ही एपाइन्ट किया जायेगा। इस तरह से वहां पर कर्मचारियों के साथ बदला लिया जा रहा है । उसी सर्कुलर में यह बात भी कही गई है कि उस पीरियड में जिन कर्मचारियों को काम में लगाया गया था उन्हें दुगुनी तनख्वाह दी जायेगी । उनके सर्विस बुक और कैरेक्टर रोल में अच्छी बात लिखी जायेगी ताकि उन्हें भविष्य में लाभ पहुंच सके । एक तरफ तो संविधान में हर कर्मचारी को, काम करने वाले को इस बात का अधिकार है कि वह अपनी मांग के लिए शान्तिपूर्ण ढंग से हड़ताल कर सकता है। वहां पर सरकार की ओर से तरह तरह की ऐसी बातें की जाती हैं जिनसे उनमें फूट पड़ जाय और उसके बाद उन्हें तरह तरह से तकलीफ दी जाती है । इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने लोक सभा में इस संबंध में जो आश्वासन दिया था उसकी ओर वे गवर्नर महोदय का ध्यान दिलायें और जिन लोगों को विक्टिमाइज किया गया है, उन्हें राहत देने की कोशिश करें ।

जैसा मैंने पहले कंसलटेटिव कमेटी के निर्माण की बात कही थी कि उसकी एक महीने और दो महीने में निश्चित रूप से बैठक होनी चाहिये । जैसा कि इसमें कहा गया है "इफ प्रेक्टिकेबल"

[श्री रुद्र नारायण झा]

यह नहीं होना चाहिये । आज बिहार की ऐसी परिस्थिति है कि महीने और दो महीने के अन्दर निश्चित रूप से कमेटी की बैठक होनी चाहिये । लेकिन आज अफसरशाही और नौकरशाही का वहां पर जो राज्य चल रहा है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि होम मिनिस्ट्री ने जो आश्वासन दिये हैं बिहार की जनता को राहत पहुंचाने के लिए वे उसे नहीं मिल सकेंगे । आज बिहार में तांडव नृत्य हो रहा है और उसके चलते होम मिनिस्ट्री अपने को बदनाम करेगी । मैं चाहता हूं कि बिहार में जो राष्ट्रपति का शासन चल रहा है, वहां पर सरकार को ऐसे मसलों को देखना चाहिये था जो आज किन्हीं कारणों से स्थगित पड़े हुए हैं । मैं सरकार से यह चाहता हूं कि पिछले अकाल के जमाने में जो काम वहां पर शुरू किये गये थे, पैदावार बढ़ाने के जो काम शुरू किये गये और इसी तरह से जनता को राहत पहुंचाने के जो काम शुरू किये गये थे उनको लागू किया जाय ताकि बिहार तेजी से आगे बढ़ सके । लेकिन हम यह देख रहे हैं कि ऐसा करने के बजाय जो कार्यक्रम चल रहे थे, उनको बंद करके सरकार ने जो नीति अपनाई है उससे बिहार पिछड़ जायेगा और गरीब हो जायेगा । बिहार अकाल और बाढ़ की चपेट में आया हुआ है, अगर वहां पर विकास के काम रोक दिये जायेंगे तो यह बड़ी भारी गलती होगी । मैं चाहता हूं कि बिहार की आज जो परिस्थिति है उसको देखते हुए गृह मंत्रालय वहां के सरकारी अफसरों को यह आदेश दे कि वे ठीक ढंग से जनता के राहत के कामों को चलायें ।

आज एक और घटना बिहार में घट रही है और वह यह कि वहां पर लूटमार और डकैती बहुत हो रही है । जब कोई शिकायत करता है तो पुलिस वहां पर बहुत देर में पहुंचती है और आफिसर लोगों का ध्यान भी जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए नहीं रहता है । आज पटना के बाजार में दिन दहाड़े हत्याएं की जाती हैं और पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है । मैं चाहता हूं कि बिहार में इस समय जो राष्ट्रपति का शासन चल रहा है, वह इस ढंग से चलाया जाय जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी जो बिहार के माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने सरकार का ध्यान वहां के सरकारी कर्मचारियों की तकलीफों और बिहार में बाढ़ की विभीषिता की ओर आकर्षित कराया । मैं तो सरकार का ध्यान कुछ एसे मामलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो वहां की जनता के लिए बहुत ही अनिवार्य हो गई है ।

इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान प्रथम इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के पहले बिहार में जो हुकूमत थी, उस ने यह फैसला लिया था कि 30 जून के बाद बिहार के अन्दर जिन किसानों को 1966–67 में कर्जा दिया गया था, उसको वसूल नहीं किया जायगा । लेकिन आज देखने को यह मिलता है कि जब से राष्ट्रपति का शासन हुआ है तब से बिहार के अन्दर किसानों के ऊपर कर्ज वसूली के नोटिस जारी किये गये हैं । यह काम गवर्नर साहब ने जब से वहां का शासन अपने हाथ में लिया है तब से शुरू हुआ है जिसकी वजह से किसानों की कुर्की और जब्ती की जा रही है । इस चीज का न सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया तथा दूसरे पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया । मैं मुंगेर जिले के एक कांग्रेस नेता श्री चन्द्र शेखर के बयान की चर्चा करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि यह वसूली मुनासिब नहीं है । उन्होंने कहा कि अभी किसानों के बखार खाली हैं । और भदई और खरीफ की फसल तक उनसे कोई वसूली नहीं की जानी चाहिये । इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस वसूली को स्थगित कर दे । इसी तरह एक दूसरे सवाल की तरफ मैं बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि बिहार के अंदर छोटा नागपुर का एक

सब-डिवीजन है जिस में अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं और वहां यह देखने को मिलता है कि आज आदिवासियों के बीच में बहुत ही अधिक असंतोष, बहुत ही अधिक बेचैनी है और हम यदा कदा उन का प्रदर्शन और दूसरी चीज़ें देखते रहते हैं और रांची की जो यूनिवर्सिटी है वहां हमेशा विद्यार्थियों का प्रदर्शन, घेराव या जमाव जारी रहता है। ये सब चीजें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि आदिवासियों का सवाल हल करने की तरफ सरकार का ध्यान सही मायने में जाता ही नहीं है। इस संबंध मे बताना चाहता हूं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : अब आ कर ढाई बजे बताइयेगा।

The House stands adjourned till 2-30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the Clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 1968

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha :—

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 13th August, 1968, adopted the annexed motion in regard to the Insurance (Amendment) Bill, 1968.

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha appointed to the Joint Committee, may be communicated to Ibis House."

MOTION

"That the Bill further to amend the Insurance Act, 1938, so as to provide for the extension of social control over insurers carrying on general insurance business and for matters connected therewith or incidental thereto and also to amend the Payment of Bonus Act, 1965, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 33 members, 22 from this House, namely :—

(1) Shri K. Suryanarayana,
(2) Shri Shivajirao S. Deshmukh.
(3) Shri George Fernandes,
(4) Shri Bimalkanti Ghosh,
(5) Shri Humayun Kabir,
(6) Shri Ramavatar Shastri,
(7) Shri C. M. Kedaria,
(8) Shri S. S. Kothari,
(9) Chowdhry Brahm Perkash.
(10) Shri Jagannath Pahadia,
(11) Shri K. C. Pant,
(12) Shri Mrityunjay Prasad.
(13) Shri K. Rajaram,
(14) Shri Ram Charan,
(15) Shri P. Ramamurti,
(16) Shri V. Narasimha Rao,
(17) Shri R. Dasaratha Rama Reddy,
(18) Shri Beni Shanker Sharma.
(19) Shri N. K. Somani,
(20) Pandit D. N. Tiwary.
(21) Shri Balgovind Verma,
(22) Shri Morarji R. Desai, and

11 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to